

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9—अगस्त 15, 2014 (श्रावण 18, 1936)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9—AUGUST 15, 2014 (SRAVANA 18, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली—110001, दिनांक 8 जुलाई 2014

सं. ए—19011/121/14—यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए—12013/21(डी.डी./हैडक्वार्टर)/11—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 09.05.2014, तथा महानिदेशक (लेखापरीक्षा) कार्यालय के रिलीविंग ऑर्डर सं. प्रशा.—I/ऑफिस ऑर्डर सं. 123 दिनांक 04.07.2014 के अनुसरण में, श्री हरीश लाल वर्मा ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड 15,600—39,100/— 6,600/— रु. ग्रेड पे, में 04.07.2014 (अपराहन) से उपनिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन.के. शर्मा, उपनिदेशक (स्था.)

सं. ए—19011/122/14—यू.आई.डी.ए.आई.। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग (यू.आई.डी.ए.आई.), नई दिल्ली के पत्र सं. ए—12013/21(डी.डी./हैडक्वार्टर)/11—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 09.05.2014, तथा महानिदेशक (लेखापरीक्षा) कार्यालय के रिलीविंग ऑर्डर सं. प्रशा.—I/ऑफिस ऑर्डर सं. 123 दिनांक 04.07.2014 के अनुसरण में, श्री मृत्युंजय सिंह चेन्नावी ने,

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड 15,600—39,100/— 6,600/— रु. ग्रेड पे, में 04.07.2014 (अपराहन) से उपनिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन.के. शर्मा, उप निदेशक (स्था.)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. आई-14011/3/2014-आई पी एस-1 (I)---भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 22/07/2014 को चयन समिति की दिनांक 13/06/2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में कुल 6 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	विनीत खन्ना	17/03/1965
2.	श्रीमती हिमानी खन्ना	03/03/1966
3.	मिथलेश कुमार शुक्ला	10/08/1966
4.	एम. एल. छारी	06/03/1963
5.	तिलक सिंह	04/05/1963
6.	अनुराग शर्मा	23/09/1965

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/3/2014-आई पी एस-1 (II)---राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	विनीत खन्ना	17/03/1965
2.	श्रीमती हिमानी खन्ना	03/03/1966
3.	मिथलेश कुमार शुक्ला	10/08/1966
4.	एम. एल. छारी	06/03/1963

क्रम सं.	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
5.	तिलक सिंह	04/05/1963
6.	अनुराग शर्मा	23/09/1965

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2014

सं. 19011/02/2011-प्रशा. I----राष्ट्रपति द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जून, 2014 के कार्यालय जापन सं. 1/1/2014-सीएस-II (ए) के तहत श्री सी.एस. बिष्ट को, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-4 (37400-67000 + 8700 रूपए के ग्रेड वेतन) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2014 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान स्टाफ अधिकारी पद पर दिनांक 01 जुलाई, 2014 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

चरणजीत तनेजा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2014

सं. 3/2014 [फा.सं. ए.12026/01/2011-एस.ओ.(प्रशासन-1ग) सीस्टेट]----राष्ट्रपति, श्री रमेश नायर को 04.07.2014 (पूर्वाह्न) से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, मुम्बई में सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उनकी यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में दायर एस एल पी सं0 4656-4657/2014 के निष्कर्ष के अधीन होगी।

एस. भौमिक, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2014

सं. ए-32013/1/2013-संवर्ग.----राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 2014 के का.जा. सं. 5/6/2013-सी.एस.-I(यू) के अनुसरण में पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी को चयन सूची वर्ष 2012 के लिए नियमित आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	सामान्य चयन सूची सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	अनुभाग अधिकारी चयन सूची
1.	7830	परिमल करण	02.05.1967	2003

अजय कुमार, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2014

सं. 5(3)2014-स्थापना---भारत के राष्ट्रपति इस मंत्रालय की दिनांक 12.5.2014 की समसंख्यक अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 मई, 2014 के आदेश सं. 3/1/2014-सीएस-1(डी) के द्वारा श्री के. एस. समरेन्द्र नाथ का सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से स्थानान्तरण होने पर उन्हें इस्पात मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निदेशक (तदर्थ) के रूप में दिनांक 2.5.2014 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अध्याधीन है:-

- (i) तदर्थ पदोन्नतियां दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 4097/2011 (अरूण गौड़ बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 4616/2011 (वी.एस पाण्डे और अन्य बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 7619/2011 (संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह और अन्य) तथा अन्य संबंधित रिट याचिका (सी) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनंत किशोर सरन), रिट याचिका (सी) 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशाह और अनर), रिट याचिका (सी) 2525/2012 (भारत संघ बनाम सईद ऐराम रिजवी और अनर), रिट याचिका (सी) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता) और रिट याचिका (सी) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय और अनर) के अन्तिम निष्कर्ष तथा उपरोक्त के अलावा अन्य किसी संबंधित मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्याधीन होगी।
- (ii) इस तदर्थ पदोन्नति से उन्हें निदेशक के ग्रेड में लगातार बने रहने अथवा ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (iii) यह तदर्थ पदोन्नति प्रारंभिक में एक वर्ष की अवधि अथवा अगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
- (iv) इस तदर्थ पदोन्नति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एच. के. वधवा, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 25 जून 2014

सं. ए-42011/2/2012-प्रशासन---राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषधि विभाग के दिनांक 13.06.2014 के आदेश सं. ए-19011(05)/2008-स्था./एनपीपीए के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री सिंह वीर प्रताप को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में उप-निदेशक के रूप में दिनांक 20.06.2014 अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

एम. सुब्बारायन, निदेशक

दिनांक 9 जुलाई 2014

सं. ए-19011/220/2011-प्रशा.---मंत्रिमण्डल सचिवालय की नियुक्ति समिति (एसीसी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 13/12/2011-इओ (एसएम-1) (दिनांक 30.06.2011, आदेश सं. 13/13/2013-इओ (एसएम-1) (दिनांक 07.10.2013 और आदेश सं. 13/3/2014-इओ) (एसएम-1), दिनांक 15.4.2014 के अनुसरण में, सुश्री एस. रावला, आईएएस (एमपी:1980), सचिव, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई), लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को 10 जुलाई, 2014 (अपराह्न) से उनकी सेवाओं से कार्यमुक्त किया जाता है।

एम. सुब्बारायन, निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2014

सं. ए- 38013/09/2014-प्रशा.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की श्रीमती सुनीता गेहानी, तकनीकी अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2014 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुई ।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 2014

संख्या 32011-03/2011-स्थापना-2---- संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा विस्तार निदेशालय के डा. के. पी. वासनिक, नियमित निदेशक (विस्तार) को वेतन बैंड-4 में 8700/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ रुपये 37,400—67,000@& रुपये के वेतनमान (जी.सी.एस. समूह 'क' राजपत्रित) पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त (विस्तार), के पद पर दिनांक 14 फरवरी, 2014 पूर्वाह्न से नियमित पदोन्नति आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2014

संख्या 12025-01/2013-स्थापना-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा श्री नवीन कुमार पटले, को वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये के साथ 15,600—39,100/- रुपये के वेतनमान पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में उपायुक्त (बागवानी), सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर दिनांक 15, अप्रैल 2014 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है ।

2. वे एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे ।

के. संजयन, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर 2013

सं.ए-32011/6/2011-ई.।----राष्ट्रपति, डॉ. ए. के. पांडा (आईईएस: 1985) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में 8700/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-पीबी-4 (37,400-67,000) में दिनांक 08.11.2013 (पूर्वाह्न) अथवा अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसंबर 2013

सं.एफ.-15-2791/2013-ई.।----राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री सूरत सिंह, अवर सचिव (सीएसएस सं. 6074) को 27.12.2013 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले

हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति में पदस्थ अधिकारी को उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा और नियुक्ति इसके लिए बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. अधिकारी की उक्त तदर्थ नियुक्ति डीओपीटी के आदेश सं. 4/3/2013-सीएस.-I(डी) दिनांक 12.12.2013 में यथाउल्लिखित लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं.एफ.-15-2792/2013-ई.1: राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री डी. रामाकृष्णा राव, अवर सचिव (सीएसएस सं. 5199) को 31.12.2013 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति में पदस्थ अधिकारी को उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा और नियुक्ति इसके लिए बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. अधिकारी की उक्त तदर्थ नियुक्ति डीओपीटी के आदेश सं. 4/3/2013-सीएस.-I(डी) दिनांक 12.12.2013 में यथाउल्लिखित लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 24 मार्च 2014

सं. ए. 32011/13/10-ई.1----वर्ष 2013 के लिए वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में उनके नामों के समावेशन के परिणामस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं 03/01/2011-सीएस-1(डी) दिनांक 7 मार्च, 2014 के अनुसरण में, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के (चयन ग्रेड में) निम्नलिखित उप-सचिवों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 07-03-2014 (पूर्वाह्न से) निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.
1.	श्री प्रताप सिंह	4233
2.	श्री ओम प्रकाश	4273

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 22 मई 2014

सं.ए. 22011/04/2013-ई.1----राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री एस. गोपाल कृष्ण, अवर सचिव (सीएसएस संख्या 4900 ए) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केवल तदर्थ आधार पर सीएसएस के उप सचिव के रूप में दिनांक 16.05.2014 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पदाधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक कार्य करते रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और बिना कोई कारण बताए इसे किसी भी समय पर समाप्त किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति, डीओपीटी आदेश संख्या 4/2/2014-सीएस-1(डी), दिनांक 15.05.2014 के पैरा 3 में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 12 जून 2014

सं.एफ.15-2579/2011-स्थापना-1-राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 1 अगस्त, 2011 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, आईएसएस (सीजी: 1995) को 01.08.2011 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि तक जो 06.09.2014 के बजाय 22.09.2014 तक है अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्होंने अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की गणना 23.09.2009 से की है जैसा कि वार्षिक और प्रशिक्षणविभाग के दिनांक 2 अप्रैल, 2014 के का.जासं. 6/19(क)/2008-ईओ(एमएम-1) द्वारा संसूचित किया गया है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2014

फा.सं. 8-13/2010-एम.11-राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिश के परिणामस्वरूप कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद (समूह 'क' राजपत्रित पद) हेतु पदोन्नत किए जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, (एनआरएलसी) लखनऊ में पीबी-3 : 15,600-39,100/- रुपये ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये में दिनांक 28.05.2013 (अपराह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :

1. डॉ. कुंदन लाल गर्ग, एनआरएलसी, लखनऊ
2. डॉ. फैजिया शाहीन, एनआरएलसी, लखनऊ
3. डॉ. नीता निगम, एनआरएलसी, लखनऊ

ए. एन. मिश्र, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2014

सं. 19011/21/2012-स्था.--दिनांक 24.04.2014 के कार्यालय आदेश संख्या 12016/3/2014-आईएसएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्रीमती सी.एच.हनी, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) स्तर के अधिकारी को दिनांक 01.01.2014 से वेतन बैंड-4 (37,400-67,000/- रुपये) + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) में नियुक्त करते हैं। इसके अलावा, एनएफएसजी में अधिकारी को रखने पर, श्रीमती सी.एच.हनी को निदेशक के रूप में पदनामित किया जाता है।

के.चन्द्र सेकर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. ईआरबी-1/2007/10/4-रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:-

- | | | |
|------|------------------------|-----------------------|
| i) | श्री बी. के. सिन्हा, | सलाहकार (रेल भंडार) |
| ii) | श्री जय देव शर्मा, | संयुक्त निदेशक |
| iii) | श्रीमती उर्मिला शर्मा, | संयुक्त निदेशक (पीएओ) |

- iv) श्रीमती प्रोमिला राजप्रिया, अनुभाग अधिकारी
v) श्री जयपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी (हिंदी)

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2010/10/4—श्रीमती सुदेश नैय्यर, निजी सचिव, रेलवे बोर्ड 15.07.2014 के पूर्वाहन से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2014

सं. 25/7/2012-आर एण्ड आर--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76(6) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री ए.के.सिंघल को 09 अक्तूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. 25/8/2012-आर एण्ड आर--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76(6) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री गिरीश बी. प्रधान को 22 अक्तूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. 47/6/2012-आर एण्ड आर--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 82 (5) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री एस. के. चतुर्वेदी को 12 फरवरी, 2014 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2014

सं ए-12025(1)/1/2012-टी.सी.पी.ओ./प्रशासन-1।।(पी.पी. व सी.)/यू.डी.।।—इस मंत्रालय के दिनांक 26.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं ए-12025(1)/1/2012-टी.सी.पी.ओ./प्रशासन-1।।(पी.पी. व सी.)/यू.डी.।। के अनुसरण में, श्री हरपाल शशिकांत दवे ने नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक के पद (सा.के.से. समूह 'क' राजपत्रित) पर वेतन बैंड - 3 में रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400/- पर दिनांक 28.05.2014 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. वी. विजयन, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION
(UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA)

New Delhi-110001, the 8th July 2014

No. A-19011/121/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India (UIDAI), Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 09.05.2014 and O/o the Director General of Audit relieving Order No. Admn.I/Office Order No. 123 dated 04.07.2014, Shri Harish Lal Verma has assumed the charge of the post of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 04.07.2014 (A/N) in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

N. K SHARMA, Deputy Director (Estt)

No. A-19011/122/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India (UIDAI), Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 09.05.2014 and O/o the Director General of Audit relieving Order No. Admn.I/Office Order No. 123 dated 04.07.2014, Shri Mritunjay Singh Chenarwee has assumed the charge of the post of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 04.07.2014 (A/N) in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

N. K SHARMA, Deputy Director (Estt)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th July 2014

No. I-14011/3/2014-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 22.07.2014 approved the Select List of 2013 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 13.06.2014, containing the names of the following Madhya Pradesh Police Service officers towards filling up 6 vacancies from the Select List of 2013 in the Madhya Pradesh Cadre of IPS:—

Select List- 2013

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Vineet Khanna	17.03.1965
2.	Smt. Himani Khanna	03.03.1966
3.	Mithelesh Kumar Shukla	10.08.1966
4.	M.L. Chhari	06.03.1963
5.	Tilak Singh	04.05.1963
6.	Anurag Sharma	23.09.1965

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/3/2014-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Madhya Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List- 2013

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Vineet Khanna	17.03.1965
2.	Smt. Himani Khanna	03.03.1966
3.	Mithelesh Kumar Shukla	10.08.1966
4.	M.L. Chhari	06.03.1963
5.	Tilak Singh	04.05.1963
6.	Anurag Sharma	23.09.1965

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

New Delhi, the 1st July 2014

No. 19011/02/2011-Admn.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of the year 2014 for appointment to the post of Principal Staff Officer in CSSS in Pay Band-4 (Rs. 37400-67000+ Grade Pay of Rs. 8700) vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 1/1/2014-CS-II(A) dated 26th June, 2014, the President is pleased to appoint Shri C.S. Bist in Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare to the post of Principal Staff Officer of CSSS on regular basis with effect from the forenoon of 1st July, 2014.

CHARANJIT TANEJA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th July 2014

No. 3/2014. [F.No. A.12026/01/2011-SO (AD-IC) CESTAT].—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Nair as Member (Judicial) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Mumbai with effect from 04.07.2014 (Forenoon) till attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

The appointment shall be subject to outcome of SLP No.4656-4657/2014 filed in the Supreme Court.

S. BHOWMICK, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 16th July 2014)

No.A-32013/1/2013-Cadre—The President is pleased to appoint the following Officer of CSS Cadre of Supply Division to Grade-I (Under Secretary) on regular basis for the Select List for the year 2012, in pursuance of DOP&T's O.M. No.5/6/2013-CS.I(U) dated 4th July, 2014:—

S. No.	CSL No.	Name (S/Shri)	DOB	SOSL
1.	7830	Parimal Karan	02.05.1967	2003

AJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL
New Delhi, the 16th June 2014

No. 5(3)/2014-Estt.—In supersession of this Ministry's Notification of even No. dated 12/5/2014. Consequent upon his transfer from Institute of Secretariat Training and Management vide Department of Personnel & Training's Order No. 3/1/2014-CS-I(D) dated the 8th May, 2014, the President is pleased to appoint Shri K.S. Samarendra Nath as Director (Ad-hoc) of Central Secretariat Service (CSS) in Ministry of Steel w.e.f. 2.5.2014(FN).

2. The aforesaid ad-hoc promotion of the officer is subject to the following term & conditions.

- (i) The ad-hoc promotions are subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs Garima Singh & Ors), W.P. No. 4616/2011 (V.S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W.P. No. 7619/2011 (UPSC Vs Garima Singh & Ors), W.P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors) and other connected Writ Petitions Nos. W.P.(C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W.P.(C) 2524/2012 (Union of India Vs. Shersha and Anr) W.P.(C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr), W.P.(C), W.P. (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), and W.P. (C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High court of Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.

- (ii) The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of director indefinitely or for inclusion in the select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) The ad-hoc promotions shall be initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.
- (iv) The ad-hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

H.K. WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 25th June 2014

No.A-42011/2/2012-Admn.—In pursuance of National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals order No. A19011(05)/2008-Estt./NPPA, dated 13.06.2014, the President is pleased to appoint Shri Singh Veer Pratap as Deputy Director in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises w.e.f. afternoon of 20.06.2014.

M. SUBBARAYAN, Director

The 9th July 2014

No.A- 19011/220/2011-Admn.—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's Order No. 13/12/2011-EO(SM-I) dated 30.06.2011, Order No. 13/13/2013-EO(SM-I) dated 07.10.2013 and Order No. 13/3/2014-EO(SM.I), dated 15.04.2014, Ms. S.Rawla, IAS (MP: 1980), Secretary, Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE), Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises is relieved of her duties w.e.f 10th July, 2014 (AN).

M. SUBBARAYAN, Director

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 21st July 2014

No. A-38013/9/2013-Admn.-I—Smt. Sunita Gehani, Technical Officer, of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.06.2014.

JITENDER SINGH, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 28th February 2014

No.32011/03/2011-E.II.—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr.K.P. Wasnik, a regular Director(Extension) of the Directorate of Extension in the post of Additional Commissioner(Extension) in the pay scale of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade pay of Rs.8700/- (GCS Group 'A' Gazetted) in the Department of Agriculture and Cooperation on regular promotion basis with effect from the forenoon of 14th February 2014.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 15th April 2014

No. 12025/1/2013-E.II.—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Naveen Kumar Patle to the post of Deputy Commissioner(Horticulture) in the Department of Agriculture and

Cooperation in PB-3,[Rs.15600—39100] +Grade Pay of Rs.7600/-, a General Central Service, Group-A Gazetted post as a Direct Recruit, w.e.f. the forenoon of 15/04/2014, until further orders.

2. He shall be on probation for a period of one year.

K. SANJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 18th November 2013.

No. A-32011/6/2011-E.I : The President is pleased to appoint Dr. A. K. Panda, (IES :1985) as Director in Pay Band-PB:4 (Rs. 37,400—67,000) with Grade Pay of Rs. 8700/- in the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy) with effect from 08.11.2013 (FN) or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 31st December 2013

No. F.15-2791/2013-E.I : The President is pleased to appoint Shri Surat Singh, Under Secretary [CSL No. 6074] of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 27.12.2013 (FN), for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right on the incumbent to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. The above ad-hoc appointment of the officer shall be subject to the final outcome of the pending Writ Petitions as mentioned in DoPT Order No. 4/3/2013-CS-I(D) dated 12.12.2013.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

No. F.15-2792/2013-E.I : The President is pleased to appoint Shri D. Ramakrishna Rao, Under Secretary [CSL No. 5199] of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 31.12.2013 (FN), for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right on the incumbent to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. The above ad-hoc appointment of the officer shall be subject to the final outcome of the pending Writ Petitions as mentioned in DoPT Order No. 4/3/2013-CS-I(D) dated 12.12.2013.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 24th March 2014

No. A-32011/13/10-E.I : Consequent upon inclusion of their names in the Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2013 and in pursuance of DoPT Order No. 3/1/2011-CS-I (D) dated 7th March, 2014, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (Selection Grade) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Human Resource Development as Director with effect from 07.03.2014 (F/N) :

S.No.	Name of the officer	CSL No.
I	Shri Pratap Singh	4233
II	Shri Om Prakash	4273

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 22nd May 2014

No. A-22011/04/2013-E.I : The President is pleased to appoint Shri S. Gopal Krishna, Under Secretary [CSL No. 4900.A] of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 16.05.2014 (FN), for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right on the incumbent to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

3. The above ad-hoc appointment shall be subject to the terms and conditions mentioned in para-3 of DoPT Order No. 4/2/2014-CS.I(D) dated 15.05.2014.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 12th June, 2014.

No. F.15-2579/2011-E.I : In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 1st August, 2011, the President is pleased to appoint Dr. Maninder Kaur Dwivedi, IAS (CG:1995) as Director in the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy) with effect from the forenoon of 01.08.2011 and upto the balance period of her central deputation tenure which is upto 22.09.2014 instead of 06.09.2014 or until further orders, whichever is earlier. She counts her central deputation tenure w.e.f. 23.09.2009, as conveyed by DoPT vide O.M. No. 6/19(A)/2008-EO(MM-I) dated 2nd April, 2014.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 11th April 2014

No. 8-13/2010- M.II. Consequent upon the recommendation of Departmental Promotion Committee (DPC), the President is pleased to appoint the following officers on their promotion to the post of Junior Scientific Officer (Group 'A' Gazetted Post) on regular basis in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, (NRLC), Lucknow, w.e.f. 28.05.2013 (A.N.):

1. Dr. Kundan Lal Garg, NRLC, Lucknow.
2. Dr. Fauzia Shaheen, NRLC, Lucknow.
3. Dr. Neeta Nigam, NRLC, Lucknow.

A. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st July 2014

No.19011/21/2012-Estt.:— In pursuance of Office Order No. 12016/3/2014-ISS dated 24.04.2014 the President is pleased to appoint Smt. C.H.Honey, a Junior Administrative Grade (JAG) level Officer of Indian Statistical Service (ISS) in the Non- Functional Selection Grade (NFSG) in the Pay Band-4 (Rs.37,400 - 67,000) + Grade Pay Rs.8,700/- w.e.f. 01.01.2014. Further, on placing the Officer in the NFSG, Smt. C.H. Honey is designated as Director.

K. CHANDRA SEKAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, 110001, the 22nd July 2014

No. ERB-I/2007/10/4— The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.06.2014:-

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (i) Shri B.K. Sinha | Adviser (Railway Stores). |
| (ii) Shri. Jai Dev Sharma | Joint Director. |
| (iii) Smt. Urmila Sharma | Joint Director (PAO) |
| (iv) Smt. Promila Rajpriya | Section Officer. |
| (v) Shri Jaipal Singh | Section Officer (Hindi). |

P. C. GAJBHIYE/Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2010/10/4— Smt. Sudesh Nayyar, Private Secretary, Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 15.07.2014.

P. C. GAJBHIYE/Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF POWER

New Delhi-110 001, the 28th July 2014

No. 25/7/2012-R&R: In terms of section 76 (6) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri A.K.Singhal as Member of the Central Electricity Regulatory Commission for a period of five years from the forenoon of the 9th October, 2013 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

No. 25/8/2012-R&R: In terms of section 76 (6) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri Gireesh B. Pradhan as Chairperson of the Central Electricity Regulatory Commission for a period of five years from the forenoon of the 22nd October, 2013 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

No. 47/6/2012-R&R: In terms of section 82 (5) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri S.K. Chaturvedi as Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & UTs for a period of five years from the forenoon of 12th February, 2014 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 5th June 2014

No. A-12025(i)/1/2012-TCPO/Admn.III(PP&C)/UD-II—In pursuance of this Ministry's Office Memorandum No. A.12025(i)/1/2012-TCPO/Admn.III(PP&C)/UD-II dated 26.05.2014, Shri Harpal Shashikant Dave has assumed the charge of the post of Assistant Town and Country Planner (GCS Group 'A' Gazetted) in the PB-3 Rs.15600-39100/- + Grade Pay Rs.5400/- in Town & Country Planning Organisation with effect from 28th May, 2014.

M. V. VIJAYAN, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in